30/01/25

आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वादी वकील द्वारा जवाब उल जवाब पेश किया गया। प्रार्थना पत्र 312 पर उभय-पक्षकारान की बहस सुनी गयी। उभय-पक्षकारान की बहस पर मनन करते कि पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन/ अनुशीलन करने पर, प्रथम दृष्टया केस का बनना, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे पाये जाने पर प्रार्थी प्रार्थीगण का प्रा॰पत्र 312 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखा जाकर शा॰नि॰ हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर
अलवर